रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2010/अग्रहायण 9, 1932
No. 645] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2010/AGRAHAYANA 9, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 929(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 85 के उप-नियम (4) के परन्तुक में "नियम 115 के उप-नियम (14) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-III)" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "नियम 115 के उप-नियम (15) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-IV)" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 90 के उप-नियम (7) के परन्तुक में "नियम 115 के उप-नियम (14) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-III)" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "नियम 115 के उप-नियम (15) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम -IV)" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 115 में,—

(अ) उप-नियम 2 में,—

(क) खंड (I) की सारणी में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5	उत्सर्जन मानक भारत प्रक्रम -II या भारत प्रक्रम -III के अनुसार विनिर्मित चौपहिया यान	0.5	750";

(ख) खंड (I) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु भारत प्रक्रम-IV मानकों के अनुसार विनिर्मित पैट्रोल/सीएनजी/एलपीजी से प्रचालित प्रत्येक मोटर यान निम्नलिखित सारणी में दिए गए कार्बन मोनाआक्साइड (सीओ), हाइड्रो कार्बन (एच सी) और लंबडा के लिए लागू उत्सर्जन मापदंडों अनुप्रयुक्त और उच्च अनुप्रयुक्त का अनुपालन करेंगे, अर्थात् :

सारणी

(भारत प्रक्रम-IV मानकों के अनुसार विनिर्मित पैट्रोल/सीएनजी/एलपीजी से नोदित यान)

क्रम सं.	यान का प्रकार	अनुप्रयुक्त उत्सर्जन सीमाएं		उच्च अनुप्रयुक्त उत्सर्जन सीमाएं	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		सीआ %	एचसी (एन हैक्सेन समतुल्य) पीपीएम	सीओ %	लंबडा λ (आरपीएम 2500 +/ 200)
1.	भारत प्रक्रम-IV के मानकों के अनुसार विनिर्मित सीएनजी/ एलपीजी नोदित चौपहिया यान	0.3	200	-	-
2.	भारत प्रक्रम-IV के मानकों के अनुसार विनिर्मित पैट्रोल नोदित चौपहिया यान	0.3	200	0.2	1 ± 0.03 या यान विनिर्माता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ।";

(ग) खंड (ii) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

(डीजल यान)

क्रम सं.	परीक्षण की विधि	अधिकतम धूम घनत्व	
(1)	(2)	(3)	
		प्रकाश अवशोषण गुणांक (1/एम)	हार्टिज यूनिट
1.	भारत प्रक्रम-IV पूर्व मानकों के अनुसार विनिर्मित यानों के लिए टर्बो प्रभारित इंजन और प्राकृतिक एस्पिरेटिड इंजन के लिए मुक्त गतिवर्धन परीक्षण	2.45	65

(1)	(2)	(3)	
2.	भारत प्रक्रम -IV मानकों के अनुसार विनिर्मित यानों के लिए टर्बो प्रभारित इंजन और प्राकृतिक एस्पिरेटिड इंजन के लिए मुक्त गतिवर्धन परीक्षण	1.62	50";

(आ) उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु भारत प्रक्रम - IV मानकों के अनुसार विनिर्मित यानों के लिए प्रमाणपत्र की विधि मान्यता बारह मास की होगी ।"

[फा. सं. आरटी-11011/2/2010-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 708(अ), तारीख 30 अगस्त, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2010

G.S.R. 929(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 88 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government;

3. Objection or suggestion, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 85, in sub-rule (4), in the proviso, for the brackets, words, letters and figures "(Bharat Stage-III) specified in sub-rule (14) of rule 115", the brackets, words, letters and figures "(Bharat Stage-IV) specified in sub-rule (15) of rule 115" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 90, in sub-rule (7), in the proviso, for the brackets, words, letters and figures "(Bharat Stage-III) specified in sub-rule (14) of rule 115", the brackets, words, letters and figures" "(Bharat Stage-IV) specified in sub-rule (15) of rule 115" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 115,—

(A) in sub-rule 2,—

(a) in clause (i), in the Table, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :

"5.	4-wheelers manufactured as per Bharat Stage-II or Bharat Stage-III emission norms.	0.5	750";

(b) after clause (i), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that every motor vehicle operating on Petrol/CNG/LPG, manufactured as per Bharat Stage-IV norms shall comply with the idling and high idling applicable emission standards for Carbon Monoxide (CO), Hydro Carbon (HC) and Lambda given in the following Table, namely :—

TABLE

(Petrol/CNG/LPG driven vehicles, manufactured as per Bharat Stage-IV norms)

Sr. No	Type of vehicle	Idle emission limits.		High idle emission limits.	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		CO %	HC (n hexane equivalent) ppm	CO %	Lambda λ (RPM-2500 +/-200)
1.	CNG/LPG driven 4-wheelers manufactured as per Bharat Stage-IV norms.	0.3	200	-	-
2.	Petrol driven 4-wheelers manufactured as per Bharat Stage-IV norms.	0.3	200	0.2	1 ± 0.03 or as declared by the vehicle manufacturer.";

(c) in clause (ii), for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

"TABLE

(Diesel Vehicles)

Sr. No.	Method of test	Maximum smoke density	
(1)	(2)	(3)	
		Light absorption coefficient (1/m).	Hartidge units.
1.	Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine for vehicles manufactured as per pre-Bharat Stage-IV norms.	2.45	65
2.	Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine for vehicles manufactured as per Bharat Stage-IV norms.	1.62	50" ;

(B) after sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the validity of the certificate shall be twelve months for the vehicles manufactured as per Bharat Stage-IV norms."

[F. No. RT-11011/2/2010-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Footnote.—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.5.R. 708(E), dated the 30th August, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.